

## राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान National Institute of Fashion Technology शैक्षणिक मामले, निफ़्ट मुखयालय Academic Affairs, NIFT Head Office हौज़ ख़ास,नई दिल्ली Hauz Khas, New Delhi

File 1400(252)/NIFT/Head-AA/SPT 2021/2020

दिनांक:-18.07.2022

## परिपत्र/ CIRCULAR

छात्र स्थायी स्थानांतरण नीति के अन्तर्गर छात्रों को स्थायी स्थानांतरण तीसरे सेमेस्टर में पहले वर्ष में सीट रिक्ति की स्थिति के अनुसार प्रदान की जाती है। छात्र स्थायी स्थानांतरण नीति के अन्तर्गत छात्र नीति के तहत उसी निफ्ट परिसर में कोर्स परिवर्तित कर सकते है, कोर्स परिवर्तित कर दूसरे निफ्ट परिसर में जा सकते है, तथा कोर्स के साथ साथ परिसर में भी बदलाब की माँग कर सकते हैं।

The Student Permanent Transfer Policy provides for permanent transfer of students in the third semester against the seat vacancy position in first year. The students may seek transfer for change of Discipline within the same NIFT Campus, change of Discipline to another NIFT Campus and change of NIFT Campus without change of Discipline under the policy.

स्थायी स्थानान्तरण के अनुरोध पर रिक्ति की स्थिति और छात्र की मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है। आवेदक के प्रथम सेमेस्टर के CMR, उपस्थिति (Attendance) और SGPA के आधार पर प्रत्येक आवेदक को SPT रैंक प्रदान की जाती है। चूंकि SPT रैंक केवल एक विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध है, कोई भी छात्र जो किस कारणवश सेमेस्टर में फेल हो जाता है या पहले वर्ष में LOA के लिए आवेदन करता है, SPT के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और उसे आवंटित SPT सीट को छोड़ना होगा। ऐसे छात्र को मूल परिसर में फिर से शामिल (Re – Join) होना होगा और वह बाद के शैक्षणिक वर्ष में SPT के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

The request for permanent transfer is considered on the basis of vacancy position vis-à-vis merit of the student. SPT Rank is provided to each applicant based on the CMR, Attendance and SGPA of the 1<sup>st</sup> semester of the applicant. Since the SPT Rank is valid only for a particular Academic Year, any student who fails a semester or applies for LOA in the 1<sup>st</sup> year, will not be considered for SPT and will have to forego the allotted seat. Such a student will have to re-join in a Parent Campus itself and will not be eligible for applying for the SPT in the subsequent Academic Year.

Garal Fedel

(प्रो. डॉ. शिंजू महाजन) Prof. Dr. Shinju Mahajan प्रमुख (शैक्षणिक मामले) / Head (Academic Affairs)

सेवा में, सभी कैंपस निदेशक/ सयुक्त निदेशक,

## प्रतिलिपि :-

1. डीन (शैक्षणिक)

2. निदेशक (आईटी) निफ्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

3. प्रमुख (ई आरपी)

4. महानिदेशक, निफ्ट के निजी सचिव -:सूचनार्थ